

# कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/प्रारं./शिप्र/प्रवेश/4489/08-09

२६ दिनांक:- १-१०-०८

समन्वयक,

बीएसटीसी/एनटीटी/एसटीसी संस्कृत

राजकीय महाविद्यालय,

अजमेर ।

विषय:- राज्य में निजी क्षेत्र में संचालित शिक्षक-प्रशिक्षण विद्यालय में दो वर्षीय शिक्षक-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 2008-09 के लिए प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित किए जाने बाबत ।

संदर्भ:- उप शासन सचिव प्रारंभिक शिक्षा (आयोजना) विभाग शासन सचिवालय जयपुर के पत्र क्रमांक प्र. १५(८) शिक्षा-१/प्रारंभि/२००८ दिनांक १८-९-०८ के क्रम में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के पत्र दिनांक १८-९-०८ के द्वारा निर्देशानुसार पत्र की छाया प्रति संलग्न कर लेख है कि राज्य सरकार द्वारा दी गई नवीन निजी संस्था अनुसारा महिला शिक्षा विकास नियम विभाग (संग्रहकार) अमावस्या द्वारा जयपुर को एसटीसी/स्नाईसी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हेतु वर्ष 2008-09 में 50 सीटों के साथ प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ करने की स्वीकृति एवं सम्बद्धता प्रदान की जाती है । संलग्न पत्र में दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे तथा पत्र में वर्णित विन्दुओं की पूर्णतया पालना प्रवेश प्रक्रिया में भी की जावे ।

*सुचिपाली*  
सहायक निदेशक (प्रशिक्षण)  
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

अनुराधा माहिला शिक्षक प्रशिक्षण संसाधनालय

*प्राद्याया*

अनुराधा माहिला शिक्षक प्रशिक्षण संसाधनालय  
नाईडाला, सुर्जिंगर जयपुर

3. विभिन्न प्रशिक्षण विद्यालयों/संस्थाओं में आवंटित सीटों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अपिछडा वर्ग, महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों, एवं विकलांगों आदि के लिए आरक्षण राज्य सरकार के वर्तमान नवीनतम प्रभावी निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
  4. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आयु सीमा राज्य सरकार के वर्तमान में प्रचलित नियमों के अनुसार रखी जायेगी
  5. एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित निम्नांकित शर्तों की पूर्ति पश्चात् संस्था को छात्र आवंटित किये जावें:-
- (i) The institution shall, within one month of the receipt of recognition order, converge the endowment fund and reserve fund accounts into a joint accounts to be operated along with an officer of the Northern Regional Committee.
  - (ii) The institution shall comply with the various other norms and standards prescribed in the NCTE regulations, as amended from time to time.
  - (iii) The institution shall make admission only after it obtains affiliation from the examining body in terms of clause 8(12) of the NCTE Regulations, 2007 notified on 10.12.2007.

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता, मानदण्ड और क्रियाविधि) विनियम 2007 के विनियम 7(11) तहत इन संस्थाओं को उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति के अधीन मान्यता/सीट आवंटन पत्र जारी किये गये हैं, जबकि इन्हीं विनियमों के विनियम 8(12) के तहत क्षेत्रीय समिति द्वारा विनियम 7(11) के अधीन मान्यता का आदेश प्राप्त होने और परीक्षण निकाय के साथ संबंधन प्राप्त होने के बाद ही संस्था में छात्र प्रविष्ट किये जाने वाला प्रावधान है, इसलिए इन संस्थाओं को क्रम संख्या 5 (i) पर अंकित शर्त की पालना एवं सचिव, बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, जयपुर में ड्राफ्ट द्वारा जमा करवाई गई राशि की प्राप्ति रसीद प्रस्तुत किये जाने पर ही छात्र आवंटित किये जावे।

18.9.08  
शासन उप सचिव

प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना)

**प्रतिलिपि :-** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा।
3. निजी संचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा।
4. पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षायें, राजस्थान, बीकानेर।
5. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर।
6. समन्वयक, बीएसटीसी/एनटीटी 2008 व प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि कृपया काउंसलिंग में सम्मिलित करने से पूर्व निर्धारित फीस, राशियाँ एवं शास्ति जमा करवाना सुनिश्चित करें।
7. सचिव, बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, जयपुर।
8. संबंधित संस्था
9. रक्षित पत्रावली।

प्राचार्य  
अन्नराज नाहत, शिक्षक प्रशिक्षण गतिविद्यालय  
नाईकनाथ शौगानेर जयपुर

18.9.08  
शासन उप सचिव